/186774/2024

संख्या : 186 / XVII–C–1 / 24–3(24)23

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग   देहरादून : दिनांक : 02 फरवरी, 24

विषय :– शौर्य स्थल(सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु बजट की आवश्यकता के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–2002 / सै0क0 / बजट(पूंजीगत) / व्यय / 2023–24 / 783 दिनांक 29.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शौर्य स्थल(सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रूपये 3135.95 लाख की बजट व्यवस्था राज्य आकस्मिकता निधि से करते हुए धनराशि को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2– उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–देहरादून के राजपुर रोड स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने तथा आय–व्ययक 2023–24 में अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 4235–60–800–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण **"राज्य आकस्मिकता निधि"** से धनराशि रूपये 150000.00 हजार (रूपये पंद्रह करोड़) आहरित कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकडो का मिलान करा लिया जाय।

3) राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का समायोजन / प्रतिपूर्ति ससमय करा ली जाय।

4) स्वीकृत की गयी धनराशि उसी कार्य विशेष पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, उत्तराखण्ड

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 02/02/2024 11:42 AM

/186774/2024

अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्य करा लिया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6) **जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।** कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

8) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

9) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0 –I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7(वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

12) कार्यदायी संस्था द्वारा **उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में** वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535) दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13) निर्माण कार्य की **तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण** अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Reinforcement एवं अन्य Hidden work की Record Measurement के साथ–साथ फोटो/वीडियोग्राफी भी अवश्य कराई जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की पुनरीक्षित स्ट्रक्चरल

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 02/02/2024 11:42 AM

डिजाइन/ड्राइंग तथा आन्तरिक एवं पंहुच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय। साथ ही आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल/स्टोन मैसोनरी रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाए।

14) आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए। योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनरीक्षित आगणन के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था से **एम0ओ0यू0** अवश्य सम्पादित कराया जाये।

15) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee के सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए। परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए। परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

16) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

3 – वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः 8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजन के नामे डाला जायेगा, अन्ततः अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–सैनिक कल्याण–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश शासनादेश संख्या 130/xxvii(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/186585/24 दिनांक 01.02.24 में प्रदत्त सहमति **(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 01-02-2024 16:45:33
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 02/02/2024 11:42 AM

/186774/2024

सचिव।

<u>संख्या : 53 / रा0आ0नि0 / XXVII(1) / 24, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न– वित्त विभाग की कम्प्यूटरजनित पत्र क्रमांक I / 186585 / 24 दिनांक 01.02.24 की छायाप्रति।

आज्ञा से

(सी0 रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

<u>संख्या : 186 (1) / XVII–C–1 / 24–3(24)23, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
3 बजट निदेशालय, देहरादून।
4 प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
5 परियोजना प्रबन्धक।
6 वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

Signed by Nirmal Kumar
Date: 02-02-2024 11:23:25

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 02/02/2024 11:42 AM

सहमत
Signed by Amita Joshi
Date: 01-02-2024 13:05:25

(अमिता जोशी)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखंड शासन

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग
देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक : फरवरी, 24

विषय :— शौर्य स्थल(सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु बजट की आवश्यकता के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–2002/सै0क0/बजट(पंजीगत)/व्यय/2023–24/783 दिनांक 29.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शौर्य स्थल(सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि रूपये 3135.95 लाख की बजट व्यवस्था राज्य आकस्मिकता निधि से करते हुए धनराशि को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2— उक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–देहरादून के राजपुर रोड स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन शौर्य स्थल (सैन्यधाम) के निर्माण कार्य को तय सीमा में पूर्ण किये जाने तथा आय–व्ययक 2023–24 में अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 4235–60–800–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण "राज्य आकस्मिकता निधि" से धनराशि रूपये 150000.00 हजार (रूपये पंद्रह करोड़) आहरित कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकडो का मिलान करा लिया जाय।

3) राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का समायोजन/प्रतिपूर्ति समय करा ली जाय।

4) स्वीकृत की गयी धनराशि उसी कार्य विशेष पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/02/2024 02:24 PM

नियमों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्य करा लिया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6) जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

8) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

9) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए। व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0 –I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7(वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाए।

12) कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ब्याज के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–FINI-8/8.2/5/2022-XXVII-1 Finance Department (Computer No. 21535) दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13) निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाए। Reinforcement एवं अन्य Hidden work की Record Measurement के साथ–साथ फोटो/वीडियोग्राफी भी अवश्य कराई जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व भवनों की पुनरीक्षित स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग तथा आन्तरिक एवं

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/02/2024 02:24 PM

पंहुच मार्ग के Pavement का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट करा लिया जाय। साथ ही आर०सी०सी० रिटेनिंग वॉल/स्टोन मैसोनरी रिटेनिंग वॉल के डिजाइन का भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैट अवश्य कराया जाए।

14) आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर, दर विश्लेषित करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाए। योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनरीक्षित आगणन के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य सम्पादित कराया जाये।

15) परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप वास्तुविद् आदि की Fee के सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2021 को व्यय वित्त समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए। परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाए। परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई०ई०सी०–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

(16) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

3 — वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः 8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजन के नामे डाला जायेगा, अन्ततः अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यकम–800–अन्य व्यय–03–सैनिक कल्याण–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश शासनादेश संख्या 130/xxvii(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई०डी० द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

5— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक .... .दिनांक .... में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/02/2024 02:24 PM

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

रा0आ0निधि संख्याः– 53 /रा0आ0नि0/XXVII(1)/2024 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपिः– महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
Signed by C Ravi Shankar
Date: 31-01-2024 15:23:42
(सी0 रविशंकर)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या : ( )/XVII-C-1/24-3(24)23, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3 बजट निदेशालय, देहरादून।
4 प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
5 परियोजना प्रबन्धक।
6 वित्त अनुभाग–01 उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 01/02/2024 02:24 PM

उत्तराखण्ड शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या– 190 /XVII-C-1/24–3(24)23
देहरादून : दिनांक 02 फरवरी, 24

शुद्धि–पत्र

शासनादेश संख्या 186/XVII-C-1/24–3(24)23 दिनांक 02 फरवरी, 24 के प्रस्तर–3 में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण के स्थान पर त्रुटिवश अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–03–सैनिक कल्याण–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण अंकित हो गया है।

2– अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 को निम्नवत् सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी :–

"अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–04–शौर्य स्थल–00–53–वृहद निर्माण"

Signed by Nirmal Kumar
Date: 02-02-2024 18:15:40
(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

संख्या : 190 (1)/XVII–C–1/24–3(24)23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
3 बजट निदेशालय, देहरादून।
4 प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
5 परियोजना प्रबन्धक।
6 वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

Generated from eOffice by RAHUL SUNDRIYAL, RO-RS, REVIEW OFFICER, Soldier Welfare Department on 02/02/2024 06:36 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023-2024)

Digitally signed by: Mr Arvind Kumar Diwakar
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 02-02-2024 18:48:11

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिता निधि)

Administrative Department : Secretary, Soldier Welfare (S046)

Head of Department : Director Soldier Welfare (4732)

आवंटन पत्र संख्या - 3/24-23

आवंटन आई डी - S2402PAC0001

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 02-FEB-2024

कनेक्टिंग हेड (लेखा शीर्षक) -

4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	**60**	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम
800	अन्य व्यय	**04**	शौर्य स्थल
00	न		

4	2	3	5	6	0	8	0	0	0	4	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	0	150000000	0	150000000
	योग	0	150000000	0	150000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 15,00,00,000 (Rupees Fifteen Crores Only)

Batch ID : DIS:S046:S046:2402:0001

Approval Status : e-Sign letter